Rajasthan High Court, Jodhpur

No. G/I/A-4(i)(a)09/19/756 Date : 06-02-19

Copies of Notification No. G.S.R. 96, 97,98 & 99 dated 28.01.19 and 103 dated 01.02.19 regarding amendment in Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986 and Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017 are forwarded to all the District & Sessions Judges for information and necessary action and with the request to circulate the same amongst all the Presiding Officers of their Judgeship.

6-2-19

Registrar (Admn.)

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

माघ 15, सोमवार, शाके 1940-फरवरी 4, 2019
Magha 15, Monday, Saka 1940- February 4, 2019

भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (ग्रुप-क-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 01, 2019

जी.एस.आर.103 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 13 का संशोधन.**- राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 13 में विद्यमान अभिव्यक्ति "35 वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "40 वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ.3(2)डीओपी/ए-2/2017]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
सुनील शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, February 01, 2019

G.S.R.103 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of

jasthan, in consultation with the High Court of Judicature for jasthan hereby makes the following rules further to amend the jasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) vice Rules, 2017, namely:-

1. **Short title and commencement** .- (1) These rules may called the Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV ployees) Service (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment of rule 13.** – The existing rule 13 of the jasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) vice Rules, 2017 hereinafter referred to as the said rules, for the sting expression "35 years", the expression "40 years" shall be bstituted.

[F.3 (2) DOP/A-2/2017]
By Order and in the name of the Governor,
Sunil Sharma,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2019

जी.एस.आर.99.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 14क का संशोधन.—राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 14क में,—

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच भर्ती वर्षों" के स्थान पर, अभिव्यक्ति "तीन भर्ती वर्षों" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) विद्यमान परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की कुल संतानों की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा और निशक्तता से ग्रस्त हो :

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया हो जो किसी विधि के विरूद्ध न हो और ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप–नियम के अधीन पदोन्नति

के लिए वह निरर्हित नहीं है तो यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से किसी संतान का जन्म होता है तो वह निरर्हित नहीं होगा।"

3. **नियम 20 का संशोधन.**– उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (4) के विद्यमान अंतिम परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित नये परन्तुक जोड़े जायेंगे, अर्थात:-

"परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की कुल संतानों की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से जन्मा और निशक्तता से ग्रस्त हो

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया हो जो किसी विधि के विरुद्ध न हो और ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए वह निरर्हित नहीं है तो यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव से किसी संतान का जन्म होता है तो वह निरर्हित नहीं होगा।"

[संख्या एफ.3(33)डीओपी/ए-2/85 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
सुनील शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(Group-A-II)
NOTIFICATION
Jaipur, January 28, 2019

G.S.R.99 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, namely :-

1. **Short title and commencement** .-(1) These rules may be called Rajasthan District Courts Ministerial Establishment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 14A .- In rule 14A of the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, hereinafter referred to as the said rules:-

(i) for the existing expression "five recruitment years", the expression "three recruitment years" shall be substituted; and

(ii) after the existing proviso, the following new provisos shall be added:

"Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage."

3. Amendment of rule 20.- After the existing last proviso to sub-rule (4) of rule 20 of the said rules, the following new provisos shall be added, namely :-

"Provided also that while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.

Provided also that any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage."

[No. F.3(33) DOP/A-II/85 Pt.]
By Order and in the name of the Governor
Sunil Sharma,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

Page 125

1285
[handwritten initials]
29/1/19

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

माघ 8, सोमवार, शाके 1940–जनवरी 28, 2019
Magha 8, Monday, Saka 1940–January 28, 2019

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

(राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये सामान्य आदेशों, उपविधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (ग्रुप–क–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2019

जी.एस.आर.96 :–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 26.04.2017 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 30 का संशोधन.– राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 के विद्यमान नियम 30 में विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच भर्ती वर्षों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन भर्ती वर्षों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ.3(2)डीओपी/ए–2/2017]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
सुनील शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(Group-A-II)
NOTIFICATION
Jaipur, January 28, 2019

G.S.R.96 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of

Rajasthan in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be deemed to have come into force w.e.f. 26.04.2017.

2. **Amendment of rule 30.**- In existing rule 30 of the Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017, for the existing expression "five recruitment years", the expression "three recruitment years" shall be substituted.

[No. F.3(2) DOP/A-II/2017]
By Order and in the name of the Governor
Sunil Sharma,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

Page 127(3)

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2019

जी.एस.आर. 98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल,

राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 7ख का संशोधन.**- राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया, के विद्यमान नियम 7ख को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**7ख. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.**- सीधी भर्ती में, महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा, जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विछिन्न विवाह महिला-अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विछिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को प्रथमतः अंतर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात् विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विछिन्न विवाह-महिलाओं से-या विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विछिन्न विवाह-अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए, इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विछिन्न विवाह-महिलाओं सहित, महिलाओं के लिए आरक्षण को, प्रवर्ग के भीतर, क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात् उस प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के विरुद्ध समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विछिन्न विवाह-महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।"

3. **नियम 7ग का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 7ग के विद्यमान स्पष्टीकरण को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने,-

(i) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के किसी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ;

या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के कोई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो ;

या

(iii) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यताप्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।"

4. **नये नियम 7ड़ और 7च का जोडा जाना.**— उक्त नियमो के विद्यमान नियम 7घ के पश्चात निम्नलिखित नये नियम 7ड़ और 7च जोड़े जायेंगे, अर्थात्:—

"**7ड़.— अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.**— अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण समय-समय पर यथा संशोधित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017 के निबंधनों के अनुसार एक प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

7च.— भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण.— भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण उसी पर अनुज्ञेय होगा जैसाकि राज्य में समय-समय पर लागू है।"

5. **नियम 10 का संशोधन.**— उक्त नियमो के नियम 10 के विद्यमान उप नियम (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(2) सामान्य प्रवर्ग में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से इसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए और उसे कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए:

परन्तु उपयुक्त मामलों में, उच्च न्यायालय, ऐसे विशेषयोग्यता व्यक्तियों के लिए, जो इन नियमों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये गये आदेशों के

अनुसार निश्चित और आरक्षित पदों के लिए भर्ती और नियुक्ति के लिए पात्र है, कम्प्यूटर एप्लीकेशन अर्हता की शर्त को शिथिल कर सकेगा:

परन्तु यह और कि नियम 6(ख) में यथा उपबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा लिपिक ग्रेड-II के पद पर भर्ती के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शैक्षणिक अर्हता राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सैकण्डरी परीक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा या इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड से समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए।"

6. **नियम 14 का संशोधन.**- उक्त नियमों के नियम 14 में,-

(i) नियम 14 के उप-नियम (ii) का विद्यमान परन्तुक हटाया जायेगा;

(ii) नियम 14 के उप-नियम (v) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और अनुसूची IV में दिये गये पाठ्यक्रम तथा अनुदेशों के अनुसार उसने मुसरिम की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो" हटायी जायेगी,

(iii) नियम 14 का विद्यमान उप-नियम (vi) हटाया जायेगा।

7. **नियम 24 का हटाया जाना.**-उक्त नियमों का विद्यमान नियम 24 हटाया जायेगा।

8. **नियम 31 का संशोधन.**- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 31 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"31. स्थायीकरण.- परीवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर परीवीक्षार्थी की नियुक्ति को स्थायी किया जायेगा यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि इसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है और वह अन्यथा स्थायीकरण के लिए योग्य है।

9. **अनुसूची 1 का संशोधन.**-उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 1 के विद्यमान भाग 1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अनुसूची-I

भाग-I

लिपिक ग्रेड-II के लिए

(प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण)

(नियम 16 देखिए)

परीक्षा.- निम्नलिखित विषयों में अभ्यर्थी की योग्यता की जॉच करने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जायेगी और प्रत्येक विषय के परीक्षा अंक निम्नानुसार होंगे:-

(क) खण्ड –क

(i) लिखित परीक्षा– 300 अंकों के एक प्रश्नपत्र की लिखित परीक्षा होगी जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे

भाग क	हिन्दी	100 अंक
भाग ख	अंग्रेजी	100 अंक
भाग ग	सामान्य ज्ञान	100 अंक

प्रत्येक भाग में प्रत्येक प्रश्न के दो अंक वाले 50 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

(ii) अवधि: दो घण्टे

(ख) खण्ड–ख

(i)कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण

1. कम्प्यूटर पर गति परीक्षण होगा।

गति: कम्प्यूटर पर न्यूनतम गति 8000 डिप्रेशनस् प्रति घण्टा होनी चाहिए। डाटा, अंग्रेजी भाषा में या द्विभाषा अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी में डाला जाना होगा।

परीक्षण 100 अंकों का होगा जिसमें गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण प्रत्येक 50 अंक (कुल 100 अंक) के होंगे।

(ii) अवधि: दस मिनट

टिप्पण:

(i) लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय का पाठ्यक्रम और विस्तार, ऐसा होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये और वेब–साइट के माध्यम से या ऐसी रीति से जो उच्च न्यायालय उचित समझे, नियत समय के भीतर अभ्यर्थियों को सूचित करेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और विशेषयोग्यजन और अजा/अजजा के मामले में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं, कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षण में उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे, इस बात के अध्यधीन कि रिक्तियों की संख्या के 15 गुना तक या जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी उचित समझे, किन्तु उक्त रेंज में वे सभी अभ्यर्थी सम्मिलित किये जायेंगे जो अंकों का समान प्रतिशत प्राप्त करते हैं।"

10. अनुसूची IV का हटाया जाना:– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची IV हटायी जायेगी।

[संख्या एफ. 3(33)डी ओ पी/ए–II/85 पार्ट]
राज्यपाल के नाम और आदेश से
सुनील शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, January 28, 2019

G.S.R.98 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan, in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 7B.** – The existing rule 7B of the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, herein after referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"**7B.Reservation of vacancies for women.**- Reservation of vacancies for women candidates shall be 30% category wise in the direct recruitment, out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange, i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non availability of eligible and suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation, within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

Explanation:- In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the competent authority and in case of divorcee, she will have to furnish the proof of divorce."

3. Amendment of rule 7C.- The existing explanation of rule 7C of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"Outstanding sportspersons" shall mean and include the sportspersons belonging to the State, who:-

(i) represented Indian Team in Individual or in Team event in any International Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian Olympic Association or concerned recognized National Sports Federation;

OR

(ii) represented Indian Team in Individual or in Team event in any International Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian School Sport Federation or concerned recognized National School Games Federation;

OR

(iii) Medal Winner in the individual or in Team event in any National Tournament of any Sports and Games, recognized by the Indian Olympic Association or concerned recognized National Sports Federation;

OR

(iv) Medal Winner in the All India Inter University Tournament in individual event or in Team event in the any Sports and Games, recognized by Indian Universities Association."

4. Addition of new rule 7E and 7F.- After the existing Rule 7D of the said rules, the following new rule 7E and 7F shall be added, namely:-

"**7E.- Reservation of vacancies for More Backward Classes**- Reservation of vacancies for More Backwards Classes shall be 1% in terms of the Rajasthan Backward Classes(Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2017 as amended from time to time . In the event of non availability of eligible and suitable candidates amongst More Backward Classes in a particular year of recruitment the vacancies so

reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure."

"**7E.- Reservation for Ex- serviceman.**- Reservation for Ex-serviceman shall be admissible as applicable in the State from time to time."

5. Amendment of rule 10.- The existing sub-rule (2) of rule 10 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(2) A candidate for direct recruitment to the general cadre must be a graduate of any University established by law in India or equivalent examination from any University recognized by the Government for the purpose and must have basic knowledge of computer:

Provided that in suitable cases, the High Court may relax the condition of Computer Application qualification for specially abled persons, who shall be eligible for recruitment and appointment to the earmarked and reserved posts in accordance with the rules and orders issued by the State Government in this behalf from time to time;

Provided further that for the recruitment to the post of Clerk Grade-II by way of promotion from the Class IV employees as provided in rule 6(b) the academic qualification of Class IV employees shall be Senior Secondary Examination or its equivalent examination of the Rajasthan Secondary Education Board or equivalent examination from any University or Board recognized by the Government for the purpose."

6. Amendment of rule 14.– In rule 14 of the said rules.-

(i) the existing proviso to sub-rule (ii) of rule 14 shall be deleted;

(ii) in sub-rule (v) of rule 14, for the existing expression "and has passed the Departmental Examinations of Senior Munsarim according to the syllabus and instructions given in Schedule-IV" shall be deleted;

(iii) the existing sub-rule (vi) of rule 14 shall be deleted.

7. Deletion of rule 24.– The existing rule 24 of the said rules shall be deleted.

8. Amendment of rule 31.– The existing rule 31 of the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"**31. Confirmation** .- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation if the

Appointing Authority is satisfied that his integrity is unquestionable and that he is otherwise fit for confirmation."

9. Amendment of Schedule-I.– The existing Part-I of Schedule-I appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"Schedule-I
Part-I
For Clerk Grade-II
(Syllabus for the Competitive Examination)
(See Rule 16)

EXAMINATION.- A competitive examination shall be held to test the ability of the candidate in the following subjects and each subject will carry the number of marks shown as under:-

(a) SECTION - A

(i) WRITTEN TEST – The written test shall consist of one paper of 300 marks comprising of:-

Part A Hindi	100 marks
Part B English	100 marks
Part C General Knowledge	100 marks

Each part shall have 50 Multiple Choice Questions bearing two marks for each question.

(ii) DURATION : Two hours

(b) SECTION – B

(i) TYPE-WRITING TEST ON COMPUTER

There will be Speed Test on Computer.

Speed : Minimum speed should be 8000 depressions per hour on computer. Data will have to be fed in English Language or in dual language, i.e. English and Hindi.

The test will be of 100 marks which will consist of speed test and efficiency test carrying 50 marks each (total 100 marks).

(ii) DURATION : Ten minutes

Note :

(i) The syllabus and scope of each subject of the written examination will be as prescribed by the High Court from time to time and will be intimated to the candidates within stipulated time through web-site or in the manner as the High Court deem fit.

(ii) Those candidates who secure minimum 50% marks and 45% marks in case of specially abled persons and SC/ST candidates in the written test shall be eligible for appearing in the type writing test on computer, subject to the extent of 15 times of the number of vacancies or as the Appointing Authority may deem appropriate but in the said range all those candidates who secure the same percentage of marks shall be included."

10. Deletion of Schedule IV – The existing Schedule IV appended to the said rules, shall be deleted.

[No. F.3(33)DOP/A-II/85 Pt.]
By Order and in the name of the Governor
Sunil Sharma,
Joint Secretary to the Government.

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 8, सोमवार, शाके 1940– जनवरी 28, 2019 *Magha 8, Monday, Saka 1940–January 28, 2019*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (ग्रुप–क–2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 28, 2019

जी.एस.आर.97 :–भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 9 का संशोधन.**– राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 9 के विद्यमान परन्तुक (x) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:–

"(xi) यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था/थी तो वह ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जायेगा/जायेगी, यदि वह तीन वर्ष से अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।

3. **नियम 10 का संशोधन.**– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10 में,–

(i) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) के उप–खण्ड (i) में शीर्ष "आशुलिपिक ग्रेड III के मामले में" के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति "90 शब्द प्रति मिनट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "80 शब्द प्रति मिनट" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ii) में शीर्ष "आशुलिपिक ग्रेड II के मामले में" के अधीन विद्यमान अभिव्यक्ति "95 शब्द प्रति मिनट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "85 शब्द प्रति मिनट" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों की अनुसूची-I के शीर्ष "भाग-2 आशुलिपिक ग्रेड-III के लिए" के अधीन-

(i) "ग्रुप-क-अंग्रेजी आशुलिपि परीक्षण" में विद्यमान अभिव्यक्ति "100 शब्द प्रति मिनट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "80 शब्द प्रति मिनट" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) "ग्रुप-ख-हिन्दी आशुलिपि परीक्षण" में विद्यमान अभिव्यक्ति "80 शब्द प्रति मिनट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "70 शब्द प्रति मिनट" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ.3(33)डीओपी/ए-2/85 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
सुनील शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, January 28, 2019

G.S.R.97 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 9 .- After the existing proviso (x) to rule 9 of Rajasthan District Courts Ministerial Establishment

Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules, the following new proviso shall be added :-

"(xi) if a candidate would have been entitled in respect of his/her age for direct recruitment in any year in which no such recruitment was held, he/she shall be deemed to be eligible in the next following recruitment, if he/she is not overage by more than three years."

3. Amendment of rule 10 .– In the existing rule 10 of the said rules:-

(i) in sub-clause (i) of clause (b) of sub-rule (1) under the heading "In the case of Stenographer Grade III" for the existing expression "90 words per minute" the expression "80 words per minute", shall be substituted.

(ii) in sub-clause (ii) of clause (b) of sub-rule (1) under the heading "in case of Stenographer Grade II" for the existing expression "95 words per minute" the expression "85 words per minute", shall be substituted.

4. Amendment of Schedule-I .– Under the heading "Part-II For Stenographer Grade-II" of Schedule-I of the said rules:-

(i) in "Group-A-English Shorthand test" for the existing expression "100 words per minute" the expression "80 words per minute" shall be substituted.

(ii) in "Group-B-Hindi Shorthand test" for the existing expression "80 words per minute" the expression "70 words per minute" shall be substituted.

[No. F.3(33) DOP/A-II/85 Pt.]
By Order and in the name of the Governor,
Sunil Sharma,
Joint Secretary to the Government.

1\13